



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 323 राँची, शुक्रवार, 19 आषाढ़, 1942 (श०)
10 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

15 जून, 2020

आदेश सं०-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-18/2019 का०-2852-- सहायक निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक-7224-A, दिनांक 28.09.2019 द्वारा Second Appeal No 17 of 1997 (R)- Anita Devi and others Vrs. Most Somri Kaur and others में दिनांक 26.09.2019 को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-10106, दिनांक 18.12.2019 द्वारा श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच) अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा से कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-149/स्था०, दिनांक 25.02.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि एक पक्षकार द्वारा तथ्य छुपाकर उन्हें आवेदन दिये जाने के कारण ही उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक-266 न्या०, दिनांक 29.07.2017 द्वारा निर्गत यथास्थिति आदेश वापस ले लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2019 को पारित आदेश एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें क्षमा किया जा चुका है।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
